

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-४/नि०स्था०(विविध)-०४/१८ (सं०१)

आदेश

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि की निकासी हेतु श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना के स्थान पर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार कोषांग संहिता-२०११ के नियम-८४ के तहत विपन्न कोड-२३-२८५-१००१०४०००१ के अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

- {२} पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।
- {३} यह आदेश दिनांक-०१.०४.१९ से लागू समझा जायेगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्था०(विविध)-०४/१८/...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्था०(विविध)-०४/१८/...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्था०(विविध)-०४/१८/...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत कुमार, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोन्नत सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-४/नि०स्था०(विविध)-०४/१८/...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आईटी प्रबंधक, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।